न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ (राज.)

अनवान कृष्ण लाल बनाम साहबराम आदि

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 सीपीसी

प्र0 सं0 155/2023

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
01.06.2023	प्रार्थना–पत्र रिपोर्ट उपरान्त पेश हुआ। प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील सं0 242/2022 अनवान कृष्ण लाल बनाम साहबराम आदि विचाराधीन थी। प्रार्थी द्वारा दिनांक 17.04.2023 को न्यायालय के समक्ष उक्त अपील में व्यतिक्रम व गैर हाजिर रहने के कारण दिनांक 17.04.2023 को उक्त अपील अदम पैरवी का आदेश पारित करते हुए अपील को खारिज कर दिया है। प्रार्थी अपील में जानबूझकर व्यतिक्रम व गैर हाजिर नहीं रहा है। प्रार्थी ग्रामीण परिवेश का अनपढ, वृद्ध व बीमारी से पीड़ि व्यक्ति है। फरवरी माह से बीमार था व इसी दौरान प्रार्थी के भाई का देहान्त भी हो गया था इसी वजह से प्रार्थी का अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं हो पा पाया एवं दिनांक 17.04.2023 को उपस्थित नहीं हुआ। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अपील मय स्थगन आदेश कोरेस्टोरशन कर पत्रावली को पूर्ववर्ती प्रक्रम पर पुनः बावजवा नम्बर पर ग्रहण करने का आदेश फरमाया जावे। विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। मूल अपील 242/2022 अनवान कृष्ण लाल बनाम साहबराम आदि के फर्दअहकाम से स्पष्ट है कि अपील दिनांक 17.04.2023 को अदम हाजरी एवं अदम तामील में खारिज की गई है। मूल अपील	

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

में अपीलाण्ट को शेष रेस्पोडेण्ट की तलबी हेतु 04.01.2023 को स्थानीय अखबार में सम्मन प्रकाशित कराने के आदेश दिये गये थे। इसके बाद बार बार 01.02.2023, 31.03.2023 तारीख पेशी पर प्रार्थी को आदेश की पालना करने के आदेश दिये गये थे। दिनांक 31.03.2023 को शेष रेस्पोडेण्ट की तलबी स्थानीय अखबार में प्रकाशति करने बाबत अंतिम अवसर दिया गया था एवं आगामी तारीख 06.04.2023 एवं उसके बाद 17.04.2023 दी गई। दिनांक 17.04.2023 को इनके अधिवक्ता ने नो इन्स्ट्रेक्शन फर्द अहकाम पर अंकित किया, जिसके कारण पत्रावली अदम तकमील में खारिज की गई है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी की मूल अपील के निस्तारण में रूचि नहीं है बल्कि अपील का सहारा लेकर केवल स्थगन आदेश को बनाये रखना चाहता है, जो उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 19 सीपीसी खारिज किया जाता है। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर, नंबर से कम कर, दाखिल दफ्तर हो।

01.6.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़